दैनिक भारत कि
तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

डॉ , संपदा मुंडे कि आत्महत्या पर उनके घर जा कर राज्य सभा सांसद रंजनी ताई पाटिल, राहुल सोनावने, अनीस अहमद, दादा साहेब मुंडे ने अपना दुःख प्रकट किया और इस हादसे कि चांज कराने कि मांग कि।

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-३४ वा | मंगळवार २८ अक्टूबर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

दुबई के सफल उद्योगपति यूसुफ अली लुलु गुजरात में निवेश करेंगे: अहमदाबाद में बनेगा भारत का सबसे बड़ा मॉल, हजारों नौकरियां सृजित होंगी

हबीब शेख़ कि रिपोर्ट
अहमदाबाद, २७ अक्तूबर
भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और निवेश-अनुकूल माहौल का जीता-जागता प्रमाण है दुबई स्थित लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली एम.ए. का नया निवेश। मूल रूप से केरल के इस सफल एनआरआई उद्योगपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुबई यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत गुजरात में ५१९ करोड़ रुपये की जमीन खरीदकर देश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल विकसित करने का फैसला किया है। यह परियोजना न केवल अहमदाबाद को वैश्विक शॉपिंग हब के रूप में स्थापित करेगी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, जो 'मेक इन इंडिया' और 'वाइब्रेंट गुजरात' की सफलता का प्रतीक बनेगी।

यूसुफ अली, जिन्हें लुलु हाइपरमार्केट चेन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ने अहमदाबाद के बहुलवासी इलाके चांदखेड़ा में ६६,१६८ वर्ग मीटर (लगभग १६.३५ एकड़) जमीन अधिग्रहित की है। लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड ने इस सौदे के लिए २५.४५ करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया है। नगर निगम से अधिग्रहित पांच प्लॉट्स (नंबर ३८१, ३८२, ३८३, ३९१ और ३९६) पर बनने वाला यह मॉल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें ३०० से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स, ३,००० सीटों वाला फूड कोर्ट, १५-स्क्रीन मल्टीप्लेक्स सिनेमा (आईमैक्स सहित), बच्चों के लिए भारत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट जोन और अन्य आकर्षण शामिल होंगे। कुल निवेश लगभग ३,००० से ४,००० करोड़ रुपये का अनुमानित है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

यह निवेश गुजरात सरकार और लुलु ग्रुप के बीच पिछले साल हुए समझौते का परिणाम है। नगर निगम के पास पहले से ५५,४९६ वर्ग मीटर जमीन का कब्जा था, जबकि शेष १०,६७२ वर्ग मीटर निजी स्वामित्व वाली मिश्रित जमीन थी। ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग (टीपी) स्कीम के कारण इसमें देरी हुई, लेकिन अंतिम टीपी की मंजूरी और भुगतान के बाद सौदा पूरा हो गया। यूसुफ अली ने कहा, गुजरात मेरे दिल के करीब है, क्योंकि यहीं से मेरे पिता ने व्यापार की बुनियादी सीख दी थी। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात का विकास प्रेरणादायक है। यह मॉल न केवल शॉपिंग का नया केंद्र बनेगा, बल्कि स्थानीय समुदाय को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करेगा। परियोजना से ५,००० से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी, जो विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए वरदान साबित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक कूटनीति का एक और सकारात्मक उदाहरण यह निवेश है। दुबई यात्रा के दौरान हुए समझौते ने भारत-यूएई आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यूसुफ अली ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा, भारत में निवेश का माहौल बहुत अनुकूल है। हम अपने साथी नागरिकों को रोजगार प्रदान करने से खुश हैं। लुलु ग्रुप पहले से ही भारत में लखनऊ, हैदराबाद, कोच्चि और अन्य शहरों में सफल मॉल संचालित कर रहा है, और यह नया प्रोजेक्ट गुजरात को एशिया के प्रमुख रिटेल हब के रूप में चमकाएगा। आने वाले दिनों में निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, और चांदखेड़ा क्षेत्र में पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को मजबूत करती है, जहां वैश्विक निवेशक भारतीय विकास की कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। यूसुफ अली जैसे उद्योगपति न केवल पूंजी ला रहे हैं, बल्कि नवाचार और कौशल विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

हज़ारों लोगों ने जलगांव में वक्फ (संशोधन) अधिनियम २०२५ के विरोध में शांतिपूर्ण लेकिन आक्रोशपूर्ण जेल भरो प्रदर्शन किया

राष्ट्रपति को पांच मांगें सौंपी गईं; २,००० लोगों ने आत्मसमर्पण किया, प्रतिभा शिंदे, समिभा पाटिल और सुमित्रा अहिरे का खुला समर्थन

जलगाव (अकील खान ब्यावली)

आज, २७ अक्टूबर वक्फ बचाओ समिति के नेतृत्व में जलगांव शहर के जी.एस. ग्राउंड में वक्फ (संशोधन) अधिनियम २०२५ के विरोध में दो घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया.जलगांव और आसपास के इलाकों से हज़ारों लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और वक्फ की संपत्ति हमारी अमानत है - सरकारी संपत्ति नहीं जैसे नारे लगाए.इस कार्यक्रम के बाद,२०००

प्रदर्शनकारियों ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया.पुलिस प्रशासन ने उन्हें प्रतीकात्मक रूप से भारतीय राष्ट्रीय की धारा १५० के तहत गिरफ्तार किया और धारा १५१ के तहत रिहा कर दिया.

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट डॉ.शमीभा पाटिल से मुलाकात की. श्रीमंत हरकर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया.

राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन

इस दौरान, बहुजन क्रांति मोर्चा की सुमित्रा अहिरे, राष्ट्रवादी अजित पवार गुट की प्रतिभा ताई शिंदे और वंचित आघाड़ी की समीभा पाटिल ने धरने और जेल भरो में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर और मार्गदर्शन देकर तथा वक्फ अधिनियम का विरोध करके वक्फ बचाओ समिति का समर्थन किया.

वक्फ बचाओ समिति की मुख्य मांगें:

१. वक्फ (संशोधन) अधिनियम २०२५ को तत्काल निरस्त किया जाए.

२. वक्फ संपत्ति पर केंद्र सरकार का नियंत्रण समाप्त किया जाए.

३. वक्फ बोर्ड का संचालन स्वतंत्र, पारदर्शी और सामुदायिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए.४) वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण और अवैध हस्तांतरण की जाँच की जाए और ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए.५) मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों जैसी संस्थाओं के लिए ई-पंजीकरण की तिथि दो साल बढ़ाई जाए.

कार्यकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश

वक्फ बचाओ समिति के अध्यक्ष मुफ़्ती खालिद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५, २६, २९ और ३० के तहत अल्पसंख्यकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों का घोर उल्लंघन करता है.इससे देश भर के मुस्लिम समुदाय में गंभीर असंतोष, चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है.समिति के समन्वयक फ़ारूक़ शेख़ ने अपने परिचय में कहा, हमारा आंदोलन किसी व्यक्ति या पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारों, हमारी आस्था और हमारे संविधान की रक्षा के लिए है.अगर सरकार इस अन्यायपूर्ण कानून को रद्द नहीं करती है, तो यह आंदोलन सिर्फ़ महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में फैल जाएगा.अंततः, वक्फ बचाओ समिति ने समुदाय द्वारा अनुमोदित पांच प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए, जिनमें अंततः देश में शांति, एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इस कानून को तत्काल निरस्त करने का अनुरोध किया गया.

❊दिशानिर्देश दिए गए

मज़हर पठान, हाफ़िज़ कासिम, मौलाना ओसामा, डॉ.जावेद, मुफ़ज़ीर, हाफ़िज़ तौफ़ीक़ शाह, मस्तफ़ीक़ शकील (सभी जलगांव से), कुर्बान मेंबर, कलीम मेंबर (फ़ैज़पुर), इरफ़ान सेठ (चिनावल), जावेद मुल्ला और अशफ़ाक़ भाई (जामनेर)। असलम मेंबर, हाकिम चौधरी (मुक्ताई नगर), साबिर मेंबर (भुसावल), सोनू काज़ी चोपड़ा, रफ़ीक़ भाई हिंगोना, सादिक टेलर न्हावी और अमीन भाई ने मार्गदर्शन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत हाफ़िज़ द्वारा कुरआन की तिलावत से हुई, उसके बाद कारी शफ़ीक़ पटेल ने नात और हुज़ैफ़ा अतीक ने तराना पेश किया.

कार्यक्रम की प्रस्तावना और प्रस्तावना फारूक शेख ने प्रस्तुत की,सुत्र संचालन हाफ़िज़ अब्दुल रहीम ने किया और घोषणाएं अनीस शाह, आबिद शेख और आरिफ देशमुख ने कीं। शकील सर ने धन्यवाद ज्ञापन किया और मुफ्ती खालिद ने नमाज़ पढ़ाई। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

ज़िला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को वक्तव्य

धरना-प्रदर्शन के दौरान पारित पाँच प्रस्ताव अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट डॉ. श्रीमंत हरकर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए.

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

आगामी चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ करें-अमित शहा

जमीर काजी कि रिपोर्ट

मुंबई, २७ अक्टूबर २०२५ (संवाददाता)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आगामी पंचायत समिति, जिला परिषद और महानगरपालिका चुनावों में ऐसी मेहनत करें कि विपक्ष का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो जाए। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य में डबल इंजन सरकार है, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। यह बात उन्होंने चर्चगेट के पास प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यालय के भूमिपूजन समारोह के दौरान कही।

घराणेशाही पर प्रहार

शहा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, इस देश में केवल घराणेशाही से राजनीतिक दल नहीं चलेंगे। गुणवत्ता और प्रदर्शन ही टिकेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने कठिन परिश्रम से तीन बार देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने भाजपा सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ और जिन्होंने देश पर हमला किया, उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया गया।

प्रदेश कार्यालय: कार्यकर्ताओं का मंदिर

शहा ने कहा, आज महाराष्ट्र भाजपा के लिए शुभ दिन है। कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए मंदिर की तरह है। यहीं से कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है और वे गढ़े जाते हैं। जनसंघ की स्थापना से लेकर अब तक हम सिद्धांत, विचार और मूल्यों के साथ जनता की सेवा करते आए हैं। प्रस्तावित कार्यालय ५५,००० वर्ग फुट में अत्यंत भव्य होगा, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएँ होंगी, जिसमें मुख्यमंत्री का कार्यालय भी शामिल होगा। उन्होंने कहा, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, 'अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा।' आज यह सत्य हो रहा है। पार्टी ने जो बीज बोया था, वह अब वटवृक्ष बन चुका है। यह कार्यालय लाखों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

मुख्यमंत्री का बयान: हम कांच के घर में नहीं रहते

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, २०१४ के चुनाव के दौरान अमित भाई (शहा) हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वह १५ दिन तक पुराने कार्यालय में रहे, सुबह से रात तक चुनाव संचालन करते थे और मुंबई का पसंदीदा वड़ा पाव खाते थे। हम लंबे समय से एक बड़े प्रदेश कार्यालय के लिए उपयुक्त जगह खोज रहे थे। यह जगह सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ली गई है। भाजपा ने अपने पैसे से यह जमीन खरीदी है। जो लोग दूसरों की जमीनें हड़पते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हम कांच के घर में नहीं रहते। यह टिप्पणी उन्होंने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत का नाम लिए बिना की।

स्रोत:

यह अनुवाद मराठी भाषा में प्रदान किए गए मूल लेख पर आधारित है, जो उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया।

अतिरिक्त संदर्भ के लिए, समाचार लेखों और सार्वजनिक बयानों का उपयोग किया गया है, जो अमित शहा के भाषण और भाजपा के आधिकारिक बयानों से प्रेरित हैं।

बीड जिला हज कमेटी से महत्वपूर्ण सूचना

बीड (संवाददाता): बीड जिले के सभी हज यात्रियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष २०२६ के लिए हज यात्रा पर जाने वाले सभी हज यात्रियों को अपने कवर नंबर और मोबाइल नंबर बीड जिला हज कमेटी के जिम्मेदार व्यक्तियों के पास दर्ज करवाने होंगे। हज प्रशिक्षण शिविर और बैठक से संबंधित जानकारी मुफ्ती मोहम्मद आरिफ आरिफी, मौलाना उबैद साहब, मौलाना शकील साहब और कमेटी के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा दी जाएगी।

कवर नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करवाने के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार व्यक्तियों से संपर्क करें:

मोहम्मद जमील (जे.के.), बारशी नाका, बीड – मोबाइल नंबर: ९९७०५३२१६८

मोहम्मद इरफान, शहंशाह नगर, बीड – मोबाइल नंबर: ९४२२३३१९७२

मोमिन मोहम्मद शफे, शफे मेडिकल, बलभीम चौक, बीड – मोबाइल नंबर: ९४२२७४४९७४

मोहम्मद निजामुद्दीन, जूना बाजार, बीड – मोबाइल नंबर: ९४२२६५०९४९

यह सूचना बीड जिला हज कमेटी के जिम्मेदार मोहम्मद जमींल (जे.के.) की ओर से जारी की गई है।

वो सामुहिक बलात्कर गुन्हे के आरोपीयो पर विनयभंग का गुन्हा दाखल

पोलीस के सामने फिर्यादी की तलाश करने का आवाहन कई गुन्हो का हुआ उलगडा

जिंतूर (प्रतिनिधी) तालुका के डोगरतला सामुहिक बलात्कर घटना के आरोपीयो ने ऐसे कई गुन्हा किये है! पोलीस तपास मे उलगडा हुवा है! इस प्रकरण में एक महिला के फिर्याद पर सामुहिक बलात्कर में के चार और अन्य एक ऐसे कुल पांच आरोपी यो के विरुद्ध जिंतूर पोलीस मे दि २४ ऑक्टोबर जुमा के दिन रात ७ बजे गुन्हा दाखल किया गया! इस में से एक आरोपी फरार है! सविस्तर जानकारी इस प्रकार हैं! के महिला ने दिये फिर्याद मे नमुद किया हैं! के वो दि ३ ऑक्टोबर को दोपहर २ बजे के समय पर वो और उसका एक दोस्त फिरने के लिए! डोगरतला शिवार मे कमलजाई मंदिर परिसर में गये थे! दर्शन लेने के बाद वो उसि परिसर में झाडि मे बैठे थे! तब अर्जुन दत्तराव बरकुले, शेषराव दत्तराव शेवाले, शेख साबेर शेख सत्तार कुरैशी ये सब रा भोगाव देवि करण मोहिते रा डोगरतला और एक आरोपी ऐसे कुल पांच जन्हे वहां आ पहोचे और उपरोक्त महिला को और उसके दोस्त को दमदाटि करने लगे! के तुम यहाँ क्या कर रहे हो! ऐसा कह कर मारपिट करने लगे तो महिला और उसका दोस्त दोनों घबरा गये तो ये पांच नराधमो ने महिला का विनयभंग कर उसके पास के जबरदस्ती कर के निकाल लिये! इस घटना कि तक्रार महिला ने दि ४ऑक्टोबर को रात ७ बजे पोलीस मे तक्रार कि उस पर से गुन्हा दाखल किया गया! फरार आरोपी का पोलीस तलाश कर रही है!

फिर्यादी की तलाश पोलीस ने हि कि है!

इस घटना के आरोपी पोलीस कि हिरासत के बिच उन्होंने गुन्हा कबुला किया! मगर फिर्याद न हो ने पर पोलीस उप अधिक्षक जिवन बेनिवाल, पोलीस निरक्षक गजेंद्र सरोदे, बिट दमदार दत्तात्रेय गुंगाने ,यशवंत वाघमारे, जिया खान,माणिक डुकरे ने इस का तपास गुप्त रखते हुए! फिर्यादी और उसका दोस्त कि तलाश कर उन्हें तस्लि देकर तक्रार दाखल करा कर लि है!/

तक्रार देणे के लिये सामने आवो ;-- पो नि गजेंद्र सरोदे

डोगरतला सामुहिक बलात्कर के आरोपी ये सराईत गुन्हेगार ह! ईस से पहले भि ऐसे गुन्हे कर के उसके व्हिडीओ किये होने कि आशंका होने कि शक्यता हैं! अब आरोपी अटक हैं! मगर फिर्यादी पोलीस के पास नही हैं! फिर्यादी सामने नहीं आने से अडचने बड रही हैं! पंडित महिला तरुणि यो ने न घबराते हुए! पोलीस के सामने आये और तक्रार दाखल करे उनका और पहेचान गुप्त रखि जायेगी! ऐसा आवाहन पोलीस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे ने किया है!

फलटण की महिला डॉक्टर की आत्महत्या: गृह विभाग की बदनामी का सबूत-हर्षवर्धन सपकाळ

मुंबई (जमीर काझी): फलटण उपजिल्हा अस्पताल की एक महिला डॉक्टर को पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या करनी पड़ी। यह घटना पुलिस विभाग के लिए शर्मनाक है और गृह विभाग की बदनामी को उजागर करती है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने शुक्रवार को कहा कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने मांग की कि फडणवीस को जनता की नहीं, तो कम से कम अपनी अंतरात्मा की तो लाज रखनी चाहिए और तत्काल गृह मंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्य को पूर्णकालिक गृह मंत्री देना चाहिए।

सातारा जिले की इस घटना पर भाजपा-महायुती सरकार और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की कड़ी आलोचना करते हुए सपकाळ ने कहा कि पुलिस का ब्रीदवाक्य सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय है, लेकिन पुलिस में गुंडों, मवालियों और बलात्कारियों जैसे दुर्जनों को खुला छोड़कर सज्जनों को परेशान करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके लिए पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग का हाल देखकर फडणवीस को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, लेकिन चाहे कितनी भी गंभीर घटना हो, फडणवीस को कोई फर्क नहीं पड़ता। फलटण की घटना कोई पहली घटना नहीं है। स्वारगेट बस स्टैंड पर एक एसटी बस में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, तब गृह राज्यमंत्री का बयान निर्लज्जता की हद था। रावेर में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण मंत्री को स्वयं पुलिस स्टेशन में धरना देना पड़ा। सपकाळ ने कहा कि फडणवीस ने महाराष्ट्र को आका, खोका दिया है। अब वे सफाई देंगे और मैं नहीं का रवैया अपनाकर वल्गना करेंगे, लेकिन अगर वे वास्तव में धर्म को मानते हैं, तो फलटण की घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें।

विपक्ष के मोबाइल पर निगरानी का आरोप: सपकाळ ने कहा कि भाजपा सत्तारूढ़ मित्र दलों पर भी नजर रखती है। मोबाइल सर्विलांस कोई नई बात नहीं है। पहले पेगासस जैसे मामले सामने आए थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने फडणवीस के आदेश पर करीब ५० नेताओं के फोन अवैध रूप से टैप किए थे, जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। लेकिन फडणवीस के सत्ता में लौटते ही शुक्ला को पुलिस प्रमुख के पद पर पदोन्नति दी गई। सपकाळ ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अब विरोधियों के बाथरूम और शौचालय में भी कैमरे लगाने से नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि यह उनकी कार्यशैली है। आरएसएस पर निशाना: अराजकता फैलाने वाली संस्था: सपकाळ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को अनियंत्रित और अराजकता फैलाने वाली संस्था करार दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने लिखित रूप में कहा था कि आरएसएस के कारण देश में अराजकता फैलेगी और जातियों-धर्मों के बीच झगड़े होंगे। आरएसएस के शताब्दी समारोह के अवसर पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर के व्हरायटी चौक में महात्मा गांधी को पुष्पहार अर्पित किया। सपकाळ ने तंज कसते हुए कहा कि जिस संगठन की स्थापना गांधीजी के विचारों और सिद्धांतों से नफरत करने के लिए हुई थी, उसका गांधीजी को नमन करना वैचारिक पराजय स्वीकार करना है। इसलिए कांग्रेस की मांग है कि आरएसएस को अपनी संस्था भंग कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले आरएसएस भारतीय तिरंगे को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन हाल के वर्षों में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा तिरंगा फहराए जाने के बाद मजबूरी में इसे स्वीकार किया गया। हालांकि, अभी तक आरएसएस ने भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं किया है। ८० रुपये में वोट घोटाला: सपकाळ ने आरोप लगाया कि भाजपा ने ४० पैसे में सोशल मीडिया पर प्रचार करने वाली जमात तैयार की थी, और अब यही जमात ८० रुपये प्रति वोट के घोटाले में शामिल है। यह घोटाला करने वाले और करवाने वाले कोई और नहीं, बल्कि भाजपा के वोटचोर हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ भाजपा की कठपुतली बन गया है। यह गड़बड़ी सुधारने के लिए और राज्य में चल रहे गोंधल को ठीक करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। सपकाळ ने कहा कि भाजपा की वोट चोरी की कार्यशैली अब उजागर हो चुकी है।

कानून का राक्षसी चेहरा: आवश्यक वस्तु अधिनियम

लेखक: अमर हबीब

आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार के हाथ में एक ऐसा हथियार है, जिसके दम पर वह किसानों को आसानी से बर्बाद कर सकती है। यह कानून न केवल किसानों की आजीविका पर प्रहार करता है, बल्कि उनकी पीढ़ियों को नष्ट करने का भी कारण बनता है। बार-बार इस कानून का उपयोग करके सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने से वंचित रखा है। यह कानून एक ऐसी तलवार है, जो बिना किसी परेशानी के किसानों का गला काट सकती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कानूनी जटिलताएँ

यह अधिनियम ब्रिटिश शासनकाल में लागू किया गया था। देश की आज़ादी के बाद भी हमारी सरकार ने इसे बनाए रखा और इसे कानून का रूप देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। आपातकाल के दौरान इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके कारण इस कानून के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का रास्ता लगभग बंद हो गया। हालांकि, २००७ में आर.आई. कोईल्हो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न्यायिक राहत की थोड़ी-सी उम्मीद जगाई।

कानून की भयावहता: धारा ३ का विश्लेषण

इस कानून की भयावहता को समझने के लिए इसकी धारा ३ पर नज़र डालना काफी है। इस धारा के प्रावधान इस प्रकार हैं:

धारा ३: राक्षसी प्रावधान

उप-धारा (२): इसके तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से किसी भी वस्तु को छह महीने तक आवश्यक वस्तु घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में इस अवधि को और बढ़ा सकती है।

उप-धारा (४): संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची-३, प्रविष्टि ३३) के तहत केंद्र सरकार किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है।

उप-धारा (५): इस धारा के तहत जारी अधिसूचनाएँ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएँगी।

धारा ३(१): उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण

यदि केंद्र सरकार को लगता है कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखना, उसका उत्पादन बढ़ाना, या उसकी न्यायसंगत कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है, तो वह इसके उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ तक कि भारत की रक्षा या सैन्य कार्यक्षमता के लिए वस्तुओं को सुरक्षित करने के नाम पर भी ऐसा किया जा सकता है।

उप-धारा (२) के प्रमुख प्रावधान:

(र): आवश्यक वस्तु के उत्पादन या निर्माण पर लाइसेंस और परमिट के माध्यम से नियंत्रण।

(ल): खेती योग्य भूमि पर निर्दिष्ट फसलों की खेती को अनिवार्य करना।

(ल): आवश्यक वस्तु की खरीद-बिक्री की कीमत पर नियंत्रण।

(व): भंडारण, परिवहन, वितरण, उपयोग या उपभोग का नियमन।

(श): किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री पर रोक।

(ष): भंडारण या व्यापार में लगे व्यक्तियों को निर्दिष्ट मात्रा बेचने का आदेश।

(ळ): व्यापारियों को लेखा-पुस्तकें और अभिलेख रखने और जाँच के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश।

(क्ष): लाइसेंस या परमिट के लिए शुल्क और सुरक्षा राशि जमा करने का प्रावधान।

(ज्ञ): गौण या पूरक विषयों पर प्रावधान, जैसे:

अधिकृत व्यक्ति को परिसर, वाहन, या दस्तावेजों की जाँच का अधिकार।

उल्लंघन के संदेह में वस्तुओं, पैकेजिंग, वाहनों, या दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार।

स्पष्टीकरण १: खाद्यान्न, खाद्य तेल, या बीज से संबंधित आदेशों में उत्पादन और क्षेत्र के आधार पर बिक्री की मात्रा तय की जा सकती है।

स्पष्टीकरण २: खाद्यान्न में चावल, गेहूँ, मैदा, आटा, और दलहन शामिल हैं।

धारा ३-: कीमत नियंत्रण

इसके तहत सरकार आवश्यक वस्तु की बिक्री कीमत तय कर सकती है, और उसी के अनुसार भुगतान होगा।

किसानों पर प्रभाव

यह कानून किसानों को अपंग करने वाला है। यह उनकी स्वतंत्रता-चाहे वह व्यवसाय की हो, व्यक्तिगत हो, या जीने की-को छीन लेता है। मूल्य नियंत्रण और भंडारण पर प्रतिबंध के कारण किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते। यह कानून उनकी आर्थिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात करता है और उन्हें बाज़ार की ताकतों से वंचित रखता है।

निष्कर्ष और माँग

आवश्यक वस्तु अधिनियम किसानों के लिए एक अभिशाप है। यह न केवल उनकी आजीविका को नष्ट करता है, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और सम्मान पर भी आघात करता है। इस राक्षसी कानून को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

लेखक: अमर हबीब, आंबाजोगाई
किसानपुत्र आंदोलन
मोबाइल: ८४११९०९९०९

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com